

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
LOK SABHA**

UNSTARRED QUESTION NO. 5780

TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 09, 1948 (SAKA)

TAXATION OF DISABILITY PENSION UNDER FINANCE ACT, 2026

5780. SHRI MANISH TEWARI:

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

- (a) the rationale behind the amendment in the Finance Act, 2026 (Page 88, Para 108) restricting tax exemption on disability pension only to personnel invalided out of service;
- (b) whether any empirical data or impact assessment was undertaken to justify differential treatment between invalided-out and superannuated disabled veterans and if so, the details thereof;
- (c) whether the Government has examined the constitutional implications of differential treatment between similarly placed disabled veterans based on mode of exit from service;
- (d) if so, whether the Ministry of Defence was consulted and its views obtained prior to introducing the amendment and if so, the details thereof;
- (e) the number of veterans likely to be affected and the estimated additional revenue expected therefrom; and
- (f) whether the Government proposes to provide transitional protection, clarify eligibility criteria and establish a grievance redressal mechanism for affected veterans and if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (f):- With the enactment of the Income-tax 2025 which will be effective from the 1st of April, 2026, the Income-tax Act, 1961 will be repealed from the said date and consequently the earlier enactments pertaining to Income-tax Act, 1922 and related savings provisions in the Income-tax Act, 1961 will cease to operate. Therefore, in the absence of an express provision in the Income-tax 2025, the exemption provided for disability pension would have lapsed. This provision was included in the Finance Bill 2026, to ensure the continuation of the same exemption that existed earlier, including its scope and condition.

Since the matter is sub-judice, it has created certain implementation issues. Therefore, to address the practical issues of the present prevailing situation, the amended provisions shall apply on or after such date as may be notified by the Central Government in this behalf.

Pending such notification, the entire disability pension, that is, disability element and service element of a disabled officer of the Indian armed forces shall be exempt from Income- tax.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5780

(जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

वित्त अधिनियम, 2026 के अंतर्गत दिव्यांगता पेंशन पर कराधान

5780. श्री मनीश तिवारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्त अधिनियम, 2026 (पृष्ठ 88, पैरा 108) में किए गए उस संशोधन का औचित्य क्या है, जिसके द्वारा दिव्यांगता पेंशन पर कर छूट को केवल सेवा से 'इनवैलिड आउट' होने वाले कर्मियों तक ही सीमित कर दिया गया है।
- (ख) क्या 'इनवैलिड आउट' होने वाले और सेवानिवृत्त दिव्यांग पूर्व सैनिकों के बीच इस विभेदकारी व्यवहार को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा या प्रभाव मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने सेवा-मुक्ति के तरीके के आधार पर समान श्रेणी के दिव्यांग पूर्व सैनिकों के बीच किए गए इस विभेदकारी व्यवहार के संवैधानिक प्रभावों की जांच की है।
- (घ) यदि हां, तो क्या इस संशोधन को पेश करने से पहले रक्षा मंत्रालय से परामर्श किया गया था और उनके विचार प्राप्त किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) इससे प्रभावित होने वाले पूर्व सैनिकों की संभावित संख्या कितनी है और इससे कितना अनुमानित अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है; और
- (च) क्या सरकार का प्रभावित पूर्व सैनिकों के लिए संक्रमणकालीन सुरक्षा प्रदान करने, पात्रता मानदंडों को स्पष्ट करने और एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च):- आयकर अधिनियम, 2025, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा, का अधिनियमन हो जाने पर, आयकर अधिनियम, 1961 उक्त तारीख से निरसत हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1922 से संबंधित पहले के सभी अधिनियमन और आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए सभी संबंधित व्यावृत्ति उपबंध समाप्त हो जायेंगे। अतः, आयकर अधिनियम, 2025 में स्पष्ट उपबंध नहीं होने पर अपंगता पेंशन के लिए दी जाने वाली रियायत व्यपगत हो जाएगी। इस उपबंध को वित्त विधेयक 2026 में इस लिए शामिल किया था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वही रियायत जो पूर्व में विद्यमान थी, अपनी गुंजाइश और शर्तों सहित, चलती रहे।

चूंकि मामला न्यायाधीन है, इससे कुछ कार्यान्वयन मुद्दे उठे हैं। अतः वर्तमान परिस्थिति के व्यावहारिक मुद्दों का समाधान करने के लिए संशोधित उपबंध ऐसी तारीख से जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, लागू होंगे।

ऐसी अधिसूचना के लंबित रहने तक, संपूर्ण अपंगता पेंशन, अर्थात् भारतीय सशस्त्र बलों के किसी अपंग अधिकारी का दिव्यांगता अवयव और सेवा अवयव को आयकर से छूट मिलती रहेगी।
